

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

साँची

ऑटो रिक्शा / ई-रिक्शा पर  
साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन  
हेतु आवेदन प्रपत्र

शुद्धता का संकल्प



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन  
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन-456001  
दूरभाष- 2527061,2527068,2527066



**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**  
मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)  
दूरभाष - 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ का  
विज्ञापन ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा पर करने हेतु कोटेशन आमंत्रण की  
सूचना।**

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के निम्नलिखित शहरों में उनके सन्मुख दर्शाई गई संख्या अनुसार ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा के माध्यम से साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का प्रचार-प्रसार करने हेतु विज्ञापन कार्य कराया जाना है :-

क्र.	शहर का नाम	विज्ञापन करने हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा की संख्या
1	उज्जैन	100
2	रतलाम	100
3	मंदसौर	100
4	नीमच	100
5	शाजापुर	100
6	आगर-मालवा	100
<b>कुल</b>		<b>600</b>

अतः विज्ञापन सामग्री निर्माण कर एवं ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा पर 01 माह के लिए स्थापित करने सहित अपनी न्यूनतम दर आवेदन के साथ प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र दिनांक 23/07/2021 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 29/07/2021 अपरान्ह 01:00 बजे तक एमपीसीडीएफ की वेबसाईट <http://sanchidairy.com> से डाउनलोड कर दुग्ध संघ कर््यालय उज्जैन में प्रस्तुत करें। समस्त आवेदन दिनांक 29/07/2021 अपरान्ह 3:00 बजे आवेदनकर्ताओं व समिति सदस्यों के समक्ष खोले जाएँगे।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

## उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.)

ई-रिक्शा/ऑटो रिक्शा पर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विज्ञापन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदन प्रपत्र क्रमांक .....

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन  
डेयरी प्लांट-मक्सीरोड़, उज्जैन (म.प्र.) 456001

पासपोर्ट  
साईज फोटो  
(स्व प्रमाणित)

(फोटो संलग्न करना अनिवार्य है)

महोदय,

मैं प्रार्थी आपकी समस्त शर्तों के अधिन उज्जैन, रतलाम, मंदसौर नीमच, आगर, शाजापुर शहरों में ई-रिक्शा/ऑटो रिक्शा वाहन पर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन करना चाहता हूँ। मेरी अन्य जानकारी एवं दस्तावेज निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. आवेदक/फर्म का नाम : .....
  2. पिता/पति का नाम : .....
  3. जन्मतिथि : .....
  4. स्थायी पता : .....
  5. आधार कार्ड नम्बर : .....
- (छायाप्रति प्रति संलग्न करें)
6. दूरभाष क्रमांक  
(अ) निवास : .....
  - (स) मोबाईल नं. : .....

7. GST रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें।
8. आवेदक को आवेदन के साथ संस्था/फर्म का लेटर पेड संलग्न करना होगा, जिसमें आवेदक अपनी न्यूनतम दर रू. .... (4.5 स्केयर फीट) प्रति ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा दर प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत दरों में जीएसटी सम्मिलित होगा।
9. दरें अंकों में एवं शब्दों में प्रस्तुत करना होगी। यदि अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दर में कोई अन्तर पाया जाता है तो शब्दों में लिखी दर को मान्य किया जाएगा।

10. किसी भी अथवा समस्त आवेदनों को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
11. समस्त आवेदन दिनांक 29/07/2021 को अपरान्ह 01:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय उज्जैन में बन्द लिफाफे में जमा करना होगा तथा उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे आवेदनकर्ताओं व समिति सदस्यों के समक्ष सील बन्द लिफाफा खोला जावेगा।
12. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले आवेदक का चयन कर कार्य आवंटन दिया जावेगा।
13. यदि दो या दो से अधिक आवेदनकर्ताओं द्वारा एक समान दर प्रस्तुत की जाती है तो चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।
14. आवेदक को साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन एवं आकार में बनाये जाने होंगे।
15. बेनर/बोर्ड लगाकर किये गये कार्य का रंगीन फोटो उपलब्ध कराना होगा, तभी देयक का भुगतान किया जाएगा।
16. सभी कार्य कार्यादेश जारी होने के 01 माह की अवधि में पूर्ण करना होगा तथा सम्पूर्ण भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाएगा।
17. आवेदक द्वारा उज्जैन-100, रतलाम-100, मंदसौर-100, नीमच-100, आगर-100 शाजापुर-100 ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा पर साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन करना होगा। अतः आवेदक को आवेदन में दरें प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उक्त जिलों में चलित ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा पर विज्ञापन निर्मित एवं स्थापित कराने, परिवहन व्यवस्था, लेबर चार्ज आदि सभी व्यय प्रस्तुत दरों में शामिल होंगे। स्वीकृत दर के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
18. आवेदक साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के विज्ञापन बनाकर एवं लगाकर स्थापित किये गये प्रत्येक ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा की रंगीन फोटो उपलब्ध कराना होगा, तभी देयक का भुगतान किया जाएगा।
19. कार्य अवधि के दौरान ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा पर किये गये विज्ञापन में किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तब विज्ञापन को पुनः ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा या स्थानीय करने की जवाबदारी आवेदनकर्ता की होगी अन्यथा देयकों से कटोत्रा किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

## ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा पर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ के विज्ञापन हेतु भाव पत्र

1. आवेदन में निम्नानुसार न्यूनतम दर रू. (4.5 स्केयर फीट) प्रति ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा दर प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत दरों में जीएसटी सम्मिलित होगा।

क्र.	विवरण	(4.5 स्केयर फीट) प्रति ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा प्रस्तुत दर रू. (प्रस्तुत दरों में जीएसटी सम्मिलित होगा।)	
		अंको में	शब्दों में
1	साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विज्ञापन (4.5 स्केयर फीट) प्रति ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा दर रू. (प्रस्तुत दरों में जीएसटी सम्मिलित होगा।)		

नोट :- यदि दो या दो से अधिक आवेदनकर्ता द्वारा एक समान न्यूनतम दर प्रस्तुत की जाती है तो चयन गठित समिति के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पूर्ण पता

पता\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_